शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-6/2015/ए-1-10 ए0जी0/दस-2015-10(38)2011

प्रेषक,

मुकेश मित्तल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक : 23 अप्रैल, 2015**

विषय : अनावर्ती अनुदान (ग्रान्ट इन एड) के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

महालेखाकार कार्यालय द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित वाँछित सूचनाये जो कि नियंत्रक अधिकारियों से समय-समय पर निश्चित प्रयोजनों हेतु मुख्य शीर्ष-2515, 2505, 4515 एवं 2056 से सम्बन्धित स्वीकृत अनावर्ती अनुदानों (ग्रान्ट इन एड) के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में माँगी गयी है। उक्त के सम्बन्ध में पुन: अवगत कराना है कि असमायोजित अनावर्ती अनुदानों का विवरण कोषागार वार, नियंत्रक अधिकारी वार एवं आहरण वितरण अधिकारी वार, महालेखाकार कार्यालय के वेबसाइट www.agup.nic.in पर नियमित रूप से प्रत्येक माह अपलोड किया जा रहा है। परन्तु अधिकांश नियंत्रक अधिकारियों एवं आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा अभी भी अनावर्ती अनुदानों (ग्रान्ट इन एड) के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। जिसके कारण विगत् कई वर्षों से अनावर्ती अनुदानों (ग्रान्ट इन एड) के मद में असमायोजित धनराशियों का निर्धारित अवधि के अन्तर्गत समायोजित किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनावर्ती अनुदान के शीघ्र एवं प्रभावी समायोजन हेतु वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्राविधानों के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

परिप्रेक्ष्य में महालेखाकार कार्यालय के वेबसाइट www.agup.nic.in में दर्शाये गये मुख्य शीर्ष-2515, 2505, 4515 एवं 2056 से सम्बन्धित सभी ग्रान्ट इन एड के उपयोगिता प्रमाण-पत्र (जिसमें सम्बन्धित ग्रान्ट इन एड के वाउचर सं0, वाउचर दिनांक एवं ग्रान्ट इन एड की राशि का विवरण देते हुए) महालेखाकार कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु उपरोक्त मुख्य शीर्षों से सम्बन्धित अपने विभाग के नियंत्रक अधिकारियों को उचित दिशा-निर्देश प्रदान करते हुए उन्हें अनावर्ती अनुदानों (ग्रान्ट इन एड) के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार कार्यालय को अविलम्ब प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

मुकेश मित्तल

सचिव।

संख्या-6/2015/ए-1-10 ए0जी0(1)/दस-2015-10(38)2011, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

(2) प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।

(3) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-सी0पी0 एवं वि0 (सं0)/ग्रान्ट इन एड-उपयोगिता प्रमाण-पत्र/23592, दिनांक 05 फरवरी, 2015 के क्रम में।

(4) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

(5) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।

(6) वित्त विभाग के समस्त व्यय नियंत्रण अनुभाग।

आज्ञा से,

सुखद राम पाण्डेय

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।